<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-7/विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, गोण्डा।</u>

<u>जमानत आवेदन संख्या-1246/2021</u>

सीएनआर नं०- **UPGD01-002408-2021**

मोहम्मद इरफान उर्फ चुन्ना आयु करीब 26 वर्ष पुत्र अकबर अली, निवासी ग्राम लोनावा दरगाह, थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा।

.........आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .... प्रतिपक्ष/अभियोजन।

अपराध सं०-148/2021

धारा-8/22 एन०डी०पी०एस०ऐक्ट

थाना- खरगूपुर, जिला-गोण्डा।

1- आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद इरफान उर्फ चुन्ना द्वारा अपराध सं०-148/2021, धारा-8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, थाना-खरगूपुर, जिला गोण्डा में जमानत हेतु प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 31-05-2021 को 08:15 बजे थाना खरगूपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को बहद स्थान तिलोरी पुरवा कब्रिस्तान के पास पुलिया के निकट शक के आधार पर पकड़ा गया, जिसकी जामातलाशी से दाहिने हाथ से काली रंग की पन्नी में कुल 30 पत्ता अल्प्रासेफ 0.5, प्रत्येक पत्ते में 10 टेबलेट कुल 300 टेबलेट, जिनका कुल वजन 36 ग्राम था, बरामद किया गया। बरामद शुदा गोलियाँ रखने का अधिकार पत्र मांगने पर दिखाने से कासिर रहा। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना खरगूपुर में अभियुक्त के विरूद्ध धारा-8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

3- आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में वह बेगुनाह व निर्दोष है, उसे महज रंजिशन हैरान व परेशान करने के लिये फंसाया गया है। उसकी माँ श्रीमती दद्दन ने तात्कालीन कां० शौकत अली आदि के विरूद्ध आपराधिक वाद दायर किया था, जो न्यायालय पर विचाराधीन है और उसी रंजिशन को लेकर पुलिस द्वारा प्रधान से मिलकर फर्जी बरामदगी दिखाकर उपरोक्त मामले में उसका चालान कर दिया।पुलिस द्वारा एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह सजायाफ्ता है। उसके पास से किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि पुलिस द्वारा उसे घर से बुलाकर फर्जी मामले में चालान कर दिया है। उक्त आधार पर प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा जमानत पर निर्मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिसके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ की बरामदगी हुई है।

5- उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया। अवलोकित तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से कुल 30 पत्ता अल्प्रासेफ 0.5, प्रत्येक पत्ते में 10 टेबलेट कुल 300 टेबलेट, जिनका कुल वजन 36 ग्राम है बरामद होने का आरोप लगाया गया,

जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं, प्रार्थी/ अभियुक्त को महज रंजिशन फर्जी फंसाया गया है। कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। अभियुक्त के पास से बरामद नशीले पदार्थ के सम्बन्ध में मामला विवेचनाधीन है। बरामद सामाग्री की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आता है। अभियुक्त दिनांक 31-05-2021 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुण-दोष पर विचार किये बिना जमानत का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मो० इरफान उर्फ चुन्ना द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०-1246/2021, मुकदमा अपराध सं०-148/2021, धारा-8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, थाना-खरगूपुर, जिला गोण्डा अनुज्ञात किया जाता है। अभियुक्त को मु०-75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये का स्वीय बन्धपत्र एवं समराशि के दो प्रतिभू सम्बंधित न्यायालय की संतुष्टि पर, दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाए।

1- अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

2- अभियुक्त विवेचना /विचारण में विवेचक / न्यायालय का सहयोग करेगा।

3- अभियुक्त मामले से सम्बन्धित गवाहों को डराने अथवा धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

प्रभारी सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस०ऐक्ट,
गोण्डा।

दिनांकः **15-06-2021**

Digitally signed by Radhey Mohan Srivastava
Date: 2021.06.16 15:50:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court